न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 194 / 2023 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 रामलाल पिता छोगा माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा

———(प्रार्थी)

बनाम

1 बालूराम पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
2 महावीर पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
3 भंवरलाल पिता नन्दा ढोली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
4 दुर्गालाल पिता उगम रेगर उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
5 बालू पिता कालू रेगर उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
6 नारायण पिता हमीरा रेगर उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
7 लादू पिता भेरू रेगर उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
8 रतनलाल पिता रघुनाथ माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा
9 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला शाहपुरा

———(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता—— श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनाक – 13.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनाक 21.12.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 850 के **आ.न. 1287, 1649 किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर,** भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण / सहखातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनाक 21.12.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अत प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 850 के **आ.न. 1287, 1649 किता 2 रकबा 0.44 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एव तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा मे तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति मे पत्थरगढी नही की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकेश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला शाहपुरा